NEWS LETTER

ACTIVITIES REPORT SEPTEMBER 2021

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

JABALPUR (M.P.)

Lok Adalat Programmes

National Lok Adalat
(11.09.2021)

REMARKABLE NUMBER OF CASES DISPOSED IN NATIONAL LOK ADALAT 11 SEPTEMBER 2021

On 11th September 2021, 2nd National Lok Adalatof 2021 inaugurated by Hon’ble Shri Justice Mohammad Rafiq, The Chief Justice & Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authorityin the august presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority-Jabalpur, Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan, Chairman, High Court Legal Services Committee- Jabalpur and other Hon'ble Companion Judges of High Court at Principal Seat Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior.

This Lok Adalat was organized across the State including Principal Seat Jabalpur & Benches at Gwalior & Indore of Hon’ble the High Court of M.P. andall the District Courts, Taluka Courts, Labor Courts, Family Courts and other courts/tribunals in the State.

Hon’ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman Madhya Pradesh State Legal Services Authority Jabalpur worked round the clock and have a continuous interactive sessions with Chief Secretary & Principal Secretaries of all the Govt. Departments, Principal District Judges and all the stakeholders to motivate them and to pursue the government agencies to extend financial benefits/rebates to the common people especially in Electricity matters, Property & Water Tax matters related to Municipal Corporation and also to encourage them to declare rebates in Cheque Bounce/Recovery Cases so that the poor litigants can be benefitted and they should have instant relief in such a pandemic period.

Under the constant guidance of the Hon'ble Executive Chairman Shri Justice Prakash Shrivastava, MPSLSA also conducted several meetings with all Insurance Companies, Bankers, Secretaries, Family Court Judges and all the Presiding Officers of the Labour Courts. Result of the regular supervision of Hon'ble Executive Chairman, appeared in the present 2nd National Lok Adalat of year 2021, as per information received till 05:00 P.M, **40,845 cases** have been settled mutually involving an amount of **243,06,48,253/-.** Members of the BAR, Print & Electronic Media and PLVs played a major role for wide publicity and in reaching to the common people the message of holding this Lok Adalat on 11th September 2021 and to obtain early, easy & accessible justice by mutual understanding.

All the Courts/Tribunals across the State participated in this 2nd National Lok Adalat with the motivation & inspiration of Hon'ble the Chief Justice Shri Justice Mohammad Rafiq and Hon'ble the Executive Chairman, Shri Justice Prakash Shrivastava. **1445 Benches** were constituted at district level. Apart from that, **15 Benches** of Hon'ble High Court Judges at Principal Seat- Jabalpur & both the Benches at Indore & Gwalior are also functioning in today's Lok Adalat and as many as **1061** have been settled.

This occasion was also marked with release of Monthly Newsletter Magazine &Tree Plantation Booklet by Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice & Patron-in-Chief, MP State Legal Services Authority.

On this occasion Member Secretary MPSLSA Shri Dharminder Singh Rathod, Registry Officers of High Court, Additional Secretary MPSLSA Shri Manoj Kumar Singh, Secretary HCLSC- Jabalpur Shri Mohit Diwan, Deputy Secretaries MPSLSA Shri Arvind Shrivastava and Ms. Swapnshree Singh were also present.

Hon'ble the Executive Chairman Shri Justice U.U.Lalit, NALSA interacting through online mode with presiding officer of National Lok Adalat Bench at District Court Indore.

Hon'ble the Executive Chairman Shri Justice Prakash Shrivastava, MPSLSA interacting with public and Government officials during the visit of District Court Jabalpur at National Lok Adalat.

Success Stories....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर

लगभग 18 वर्ष से चल रहे विवाद का हुआ निराकरण–

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट अशोकनगर के न्यायालय में लंबित 18 वर्ष पुराने विवाद में फरियादी तथा आरोपी के मध्य राजीनामा हुआ। दोनो पक्षों के मध्य लगभग 18 वर्ष पूर्व मजदूरी करते हुये मामूली बात को लेकर विवाद एवं छोटी–मोटी मारपीट होने के कारण अब तक कानूनी पक्रिया में उलझे हुये थे, किन्तु नेशनल लोक अदालत में प्रकरण रखे जाने के परिणामस्वरूप लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्य द्वारा समझाईश दी गई तथा 18 वर्ष के विवाद का सौहाद्रपूर्ण तरीके से त्वरित एवं स्थाई निराकरण हो गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,दमोह

बीमा कंपनी व आवेदकगण के मध्य 47 लाख का समझौता

नेशनल लोक अदालत में दमोह के न्यायालय में लंबित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में पक्षकारगण एवं बीमा कंपनी आई.सी.आई.सी.आई. लोमवार्ड के मध्य 47,00,000/–(सैतालीस लाख रूपये) में समझौता हुआ। नेशनल लोक अदालत में प्री–सिटिंग के माध्यम से मामले में समझौता राशि पर सहमति बनी तथा आवेदकगण एवं बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्तागण की उपस्थिति में समझौते के आधार पर आवेदकगण को अवार्ड राशि भी प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,दमोह

11 साल तक अलग रहने के बाद लोकअदालत ने पति–पत्नि को मिलाया

आवेदक तथा अनावेदक की शादी 2005 में हुई थी। शादी के पांच साल बाद मनमुटाव होने से फैमिली कोर्ट में एकपक्षीय तलाक हो गया, इस कारण पति ने फिर से पत्नि को साथ में रहने के लिए प्रयास शुरू किए। 11 साल तक अलग रहने के बाद लोक अदालत की खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी ने दोनों को समझाया, जिससे कि वह एक साथ रहने तथा तलाक को निरस्त करवाने के लिए तैयार हो गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,देवास

प्रार्थी माता द्वारा प्रतिपार्थी गण संतानों के विरूद्ध कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया के पति के निधन उपरांत उसके संतानों द्वारा भरण पोषण नहीं करने के कारण आवेदन पेश किया गया। नेशनल लोक अदालत मे प्रार्थी एवं प्रतिपार्थी के मध्य समझाईश के उपरांत प्रतिपार्थीगण अपनी माता को भरण पोषण एवं ईलाज हेतु 5–5 हजार रूपये दिये जाने को सहमत हुय और प्रतिपार्थी गण को निर्देशित किया गया कि वे समय समय पर माता को उनके घर देखने भी जाएंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,गुना

35 साल पुराना 1 करोड़ 50 लाख रूपये का विवाद लोक अदालत में निराकृत

नेशनल फर्टिलाईजर लिमिटेड एवं नागिया कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बीच सिविल प्रकरण वर्ष 1987 में दर्ज किया गया, जिसका निराकरण वर्ष 1991 में होकर माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसका निराकरण 1994 में हुआ। निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुई जिसका निराकरण भी वष 2000 में हुआ। लगभग 35 साल पुराना लेनदेन संबंधी विवाद दोनो पक्षों ने पीठासीन अधिकारी की समझाईश पर राजीनामा के आधार पर निराकृत किया जाना स्वीकार किया। इस विवाद की राशि आज की स्थिति में 15093630/–रू है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सीहोर

26 वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नि में 60 वर्ष की आयु में हुआ राजीनामा

सीहोर न्यायालय में लंबित हिन्दू विवाह अधिनियम के एक प्रकरण जिसमें दम्पति जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष होकर पिछले 26 वर्षों से अलग–अलग रह रहे थे और पति द्वारा तलाक का मुकदमा लगाया हुआ था, जिसमें कई बार दोनों के मध्य सुलह वार्ता करवाई गई थी लेकिन नेशनल लोक अदालत में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति एवं अधिवक्ताओं के समझाईश देने के चलते दोनों पति–पत्नि 26 वर्षों बाद अपनी वृद्धावस्था में एक साथ रहने को राजी हुए।

जिलाविधिकसेवाप्राधिकरण,उमरिया

भाईयों के बीच जमीनीं विवाद का अंत

ालय बीरसिंहपुर पाली के अंतर्गत भाईयों के मध्य जमीन को लेकर विवाद कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था, दोनों परिवारों के बीच बोलचाल भी बंद थी। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों को दिनांक 11 सितम्बर 2021 को न्यायालय परिसर में बुलाया गया, साथ ही इनके मध्य सुलह समझौता के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया गया। लंबे समय से चल रह मनमुटाव को खत्म करके लोक अदालत के माध्यम से दो सगे भाईयों को आपस में मिलवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,शहडोल

पूर्ववाद प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल की पी. एल.व्ही.के द्वारा सुश्री हेमलता सिंह निवासी शहडोल का प्रकरण पूर्ववाद के रूप में नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया। आवेदिका को अनावेदिका द्वारा अपनी बेटी के घर दिल्ली उनके बच्चों की देखभाल करने हेतु भेज दिया गया था एवं 2018 में आवेदिका कार्य छोड़कर वापस शहडोल आ गयी, कार्य छोड़ने के पश्चात् रूपये 60,000/– वेतन राशि बकाया थी जिसे, सचिव, जिला प्राधिकरण शहडोल के अथक प्रयास द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उभयपक्ष की सहमति से राजीनामा कर आवेदिका को राशि प्रदाय कर पूर्ववाद प्रकरण का निराकरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,अलीराजपुर

नेशनल लोक अदालत न बच्ची को दिलाया माता–पिता का साथ

तहसील न्यायालय जोबट में लंबित एक प्रकरण में पति–पत्नी के मध्य चल रहे मतभेद के कारण आवेदिका ने भरण पोषण हेतु आवेदन प्रस्तु त किया था। दम्पति के बच्ची भो थी। नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी द्वारा पति–पत्नी को पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से समझाया गया, जिससे पति–पत्नी आपसी सहमति से समझौता हेतु तैयार हुए। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत ने बच्ची को माता–पिता का साथ दिलाया।

Public Utility Services

Success Story

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,इंदौर

आवेदक की लंबे समय से चली आ रही शिकायत का मात्र 14 दिनों में समाधान।

आवेदक अभिषेक अग्रवाल नि. इंदौर ने जन उपयोगी लोक अदालत में दिनांक 27.08.2021 में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके घर के पीछे की गली में नगर निगम द्वारा लम्बे समय से सफाई नहीं किये जाने के कारण बैकलेन में गंदगी का पहाड़ बन गया है और चेम्बर चौक हो जाने के फलस्वरूप असहनीय बदबू पूरे समय फैली रहती है जिससे आस–पास के निवासियों को गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है। नगर–निगम के स्थानीय दरोगा एवं झोन कार्यालय, सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी वहां सफाई नहीं की जा रही है। जिस पर जनउपयोगी लोक अदालत द्वारा उक्त आवेदन के सम्बंध में लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना–पत्र जारी किया गया।

लोक अदालत के सूचनापत्र प्राप्ति के उपरांत नगर–निगम इंदौर की स्वच्छता शाखा द्वारा आवेदक के निवास स्थान के पीछे की बैकलेन में साफ–सफाई, कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव और धुंआ मशीन से मच्छर नाशक दवा का छिड़काव करते हुए कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदक की लंबे समय से चली आ रही शिकायत का मात्र 14 दिनों में ही समाधान सुनिश्चित हुआ।

आवेदक की ड्रेनेज लाईन चोक होने की शिकायत का लोक अदालत में समाधान।

आवेदक प्रभाष जैन नि. इंदौर ने दिनांक 03.09.2021 को जन उपयोगी लोक अदालत मे इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उनके निवास स्थान की ड्रेनेज लाईन चोक हार रही हैं। जिसके कारण ड्रेनेज का गंदापानी मोहल्ले में भर रहा हैं जिससे उक्त क्षेत्र में गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा हैं। जिसपर जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा उक्त आवेदन के सम्बंध में लोक अदालत दिनांक 11.09.2021 में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना–पत्र जारी किया गया।

लोक अदालत के सूचना पत्र प्राप्ति के उपरांत नगर–निगम इंदौर की स्वच्छता शाखा द्वारा आवेदक के निवास स्थान की ड्रेनेज लाईन की साफ–सफाई और कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार शिकायत करने के 07 दिनों के अंदर ही समस्या का निराकरण सुनिश्चित हुआ।

Glimpses of National Lok Adalat (11-09-2021)

DLSA INDORE

DLSA HOSHANGABAD

DLSA DINDORI

DLSA SHEOPUR

DLSA NARSINGHPUR

DLSA DAMOH

DLSA DEWAS

DLSA GWALIOR

DLSA SATNA

DLSA BHOPAL

DLSA VIDISHA

DLSA INDORE

DLSA MANDLA

DLSA SEONI

Launching of "Informative Display Boards"

The Hitavada

'Informative Display Boards' launched by MPSLSA officials

Under the Nationwide special project of NALSA with Postal Department, Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq, The Chief Justice & Patron-in-Chief, MP State Legal Services Authority launched "Informative Display Boards" on 23rd September 2021 in the august presence of Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, Jabalpur, and other Hon'ble the Companion Judges of M.P. High Court. "Informative Display Boards" prepared by MPSLSA for dissemination of information on Legal Aid Services to the public at large in collaboration with Department of Posts across the State of Madhya Pradesh.

On this occasion, Shri Rajendra Kumar Vani Registrar General M.P. High Court, Shri Dharminder Singh Rathod, Member Secretary, MP State Legal Services Authority, Mr. Jitendra Gupta ,Chief Postmaster General M.P. Circle, Shri Manoj Kumar Singh, Additional Secretary and other dignitaries were also present in above programme .

M.P. State Legal Services Authority and the Postal Department coordinated & collaborated for publicity of schemes related to legal aid services through" Informative Display Boards" for the Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012 (POCSO), Criteria for giving legal Services under Section 12 of Legal Services Authority Act 1987 and about the rights of common people or person arrested by police and other schemes qua Madhya Pradesh Crime Victim Compensation Scheme 2015, availability of NALSA's Legal Services App etc. The " Informative Display Boards" would be display at each and every post offices across the state.

Through these Informative Display Boards information regarding Free Legal Aid Services, Rights and Duties will be provided to the weaker sections of society upto remote areas through Post Offices. Along with this, information regarding services available through NALSA Mobile Legal Services Application will also be made available to the public.

Glimpses of launching Programme

DLSA CHINNDWARA

DLSA DHAR

DLSA DAMOH

DLSA GUNA

DLSA INDORE

DLSA JABALPUR

DLSA JHABUA

DLSA KATNI

DLSA MANDLA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA SAGAR

DLSA SHAHDOL

DLSA SEONI

DLSA SHIVPURI

DLSA UJJAIN

DLSA RAJGARH

DLSA SHIVPURI

DLSA SEHORE

Inauguration of One day Special Legal Awareness Campaign

Under the aegis of NALSA, a State wide one day Special Legal Awareness Campaign organized on 17.09.2021 for spreading awareness among the people by means of organizing Public Awareness Campaign, Public Awareness through Legal Aid Clinics & providing legal aid/advice. With the object of Access to Justice for all Member Secretary Shri Dharminder Singh Rathod flagged off the said programme by waving flag to Publicity Van.

The Publicity Van commenced its journey from State Legal Services Authority and visited to Silua, Chowkla, Barabati, Barha, Pipariya, Samadhi, Chhatarpur, Deori, Basaniya, Calvas, Ghana, Rosra, Bandarpura, Padaria to Barela etc. disseminating information of Schemes of NALSA & SLSA through Loudspeaker and distributed pamphlets by PLVs. Apart from this five Legal Aid Clinics were also held to assist the public.

On this occasion, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Jitendra Mohan Dhurve, Shri Muhammad Jilani Legal Aid Officers, Advocates, Para-Legal Volunteers were also present in the said program.

Awareness Programme flagged off by Member Secretary, MPSLSA

GLIMPSES OF AWARENESS PROGRAMME

DLSA UJJAIN

DLSA NARSINGHPUR

DLSA ASHOKNAGAR

DLSA ANUPPUR

DLSA DAMOH

DLSA SHAHDOL

DLSA ALIRAJPUR

DLSA NEEMUCH

DLSA SEHORE

DLSA VIDISHA

DLSA CHHINDWARA

DLSA TIKAMGARH

DLSA REWA

DLSA INDORE

DLSA KHANDWA

DLSA UMARIA

DLSA KATNI

DLSA RATLAM

DLSA SEONI

DLSA BHOPAL

DLSA SIDHI

DLSA GWALIOR

DLSA RAJGARH

DLSA BURHANPUR

DLSA SATNA

DLSA DINDORI

DLSA BHIND

DLSA SAGAR

DLSA BETUL

DLSA DEWAS

STATISTICAL REPORT

1. Deployment of Mobile Vans

Number of Mobile Vans	Number of Districts Covered	Number of Villages/Gram Panchayats covered	Number of persons covered	Outcome of deployment of vans
30	21	195	18732	Dissemination of information to the villagers regarding legal aid activities and implementation of their rights

2. Legal Aid Clinics/Camps for beneficiaries

Number of Districts covered	Number of Legal Aid Clinics organised	Number of PLVs/Panel Lawyers deployed	Number of beneficiaries covered	Broad nature and number of advice rendered
48	281	508	8743	1. Informed about legal aid activities and drafting of legal aid application and them to concerened department through these clinics 2. No of Advice Rendered -2031

3. Legal Aid Awareness Programmes

Number of Districts covered	Number of Villages/Gram Panchayats covered	Number of Camps held	Number of persons covered	Outcome of efforts
	431	426	20228	1. Informed about activities of leagal services institutions and filling of applications through Nalsa legal services apps. 2. Also informed peoples about Nalsa schemes, victim compensation scheme, Free legal aid and advice scheme and law relating to labours.

INAUGURATION OF COMMUNITY MEDIATION CENTRE AT BARGI NAGAR - DISTRICT JABALPUR

Under the guidance of Hon’ble Shri Justice Mohammad Rafiq, the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh & Patron-in-Chief, MPSLSA and Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Judge, M.P. High Court and Hon’ble Executive Chairman, MP State Legal Services Authority, community Mediation centre is inaugurated at Bargi Nagar District Jabalpur by Shri Dharminder Singh Rathod, Member Secretary MP State Legal Services Authority.

TheHitavada

Community Mediation Centre inaugurated at Bargi Nagar

On this Occassion Shri Dharminder Singh Rathod, Member Secretary addressed that MPSLSA has adopted the Community Mediation Programme, which is a flagship programme of MP State Legal Services Authority and it offers simple, quick and easy resolution of disputes. It can be adopted for all civil disputes - family matters, among many other kinds of disputes. Further, it enables parties to arrive at a win-win formula as there is no winner or loser and it offers confidentiality avoids hostility, restoration of trust between people. With procedural flexibility as compared to court procedures, considerable time and money is saved. He also gave the answers of questions asked by present people.

Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Manish Singh Thakur Secretary DLSA, Jabalpur, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Zeeshan Khan, Shri Mohammad Jilani, District Legal Aid Officers , Shri Sheikh Manzoor, Advocate Jabalpur, Shri Panchdev Mehto, Sarpanch, Gram Panchayat Harduli, Shri Parvez Khan, trained community mediation volunteer were also present in the inauguration program.

The programme was also addressed by the Additional Secretary MPSLSA Shri Manoj Kumar Singh and Secretary DLSA, Jabalpur and Shri Sheikh Manzoor, Advocate Jabalpur.

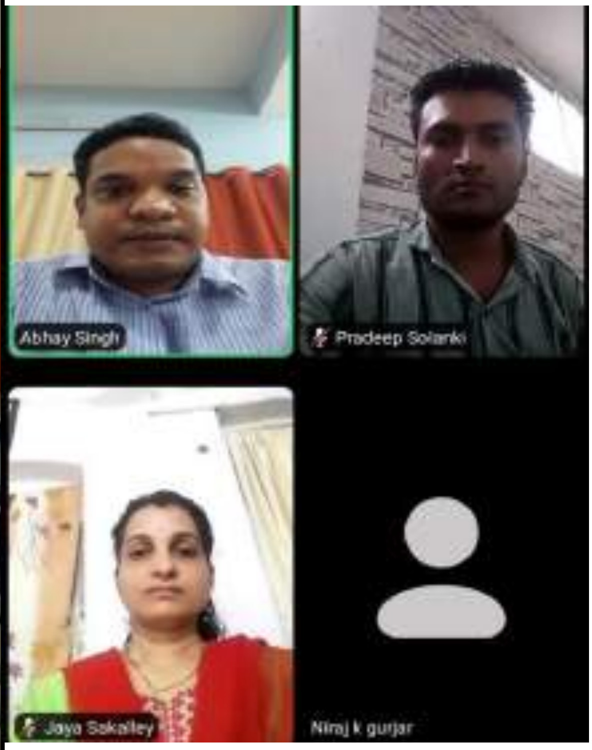
Abhay Singh
Pradeep Solanki
Jaya Sakalley
Niraj k gurjar

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

माननीय उच्च न्यायालय की पहल से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों को जागरूक किये जाने का उठाया बीड़ा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा **माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर** द्वारा **एमसीआरसी नं. 7070/2021 रवि अहिरवार बनाम मध्यप्रदेश शासन** में प्रदत्त दिशा–निदेशों के अनुपालन में दिनांक **15.09.2021** को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी में श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी अधिकारियों को लघु फिल्म **''उड़ने दो''** का स्कूल एवं अन्य संस्थानों में जागरूकता शिविरों में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराये जाने एवं संपूर्ण जिले में अधिक से अधिक बच्चों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से जागरूक किये जाने हेतु रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में सभी अधिकारियों से अपील की गयी कि बच्चों के मामलों में संवेदनशीलता दिखाते हुये ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने की आवश्यकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 13.09.2021 को बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना अंतर्गत चाइल्ड लाइन नरसिंहपुर के वालेंटियर के सहयोग से 15 से अधिक बच्चों के साथ खेलकूद एवं नैतिक शिक्षा पर शिविर आयोजित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

शाला त्यागी बच्चों का सर्वेक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा शिक्षा विभाग के समन्वय से शाला त्यागी बच्चों के संबंध में संपूर्ण जिले में अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत जो बच्चे गरीबी, मजदूरी, विवाह हो जाने, आर्थिक परिस्थितियों के कारण अथवा अन्य कारणवश अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके परिवार को कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत शहडोल जिले में वर्तमान तक लगभग 2000 से अधिक परिवारों से संपर्क किया जा चुका है, उक्त प्रयास के परिणामस्वरूप कुछ बच्चों द्वारा स्कूल में प्रवेश करवा लिया गया है और शेष बच्चों के प्रवेश संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा

किशोर न्याय अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा एडीआर भवन में किशोर न्याय अधिनियम विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम, बालको के प्रति दृष्टिकोण, बाल कल्याण समिति–बाल कल्याण अधिकारी–परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका, बालक के विधि के विरोध में कार्य करने पर जांच, विवेचना में किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत विशेष प्रक्रियाओं का पालन, बालक की पहचान छिपाने, निःशुल्क विधिक सहायता योजना विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उक्त कार्यशाला में महिला थाने की निरीक्षक, बाल संरक्षण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक कार्यकता, जिले के समस्त बाल कल्याण अधिकारी, पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

तहसील विधिक सेवा समिति पाठन द्वारा तान्या कान्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल पाटन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा स्कूल के छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों को विधि संबंधी जानकारी प्रदान की गई एवं बालिका शिक्षा की आवश्यकता व बालिका शिक्षा से स्वस्थ समाज के निर्माण पर विस्तृत व्याख्यान दिया। इस अवसर पर विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को प्रमाण पत्र व पुरूस्कार वितरण कर प्रोत्साहित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा दिनांक 25.09.2021 को गोदी शिशु गृह गौहरगंज का ऑनलाईन निरीक्षण किया गया, तत्समय अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति गौहरगंज स्वयं निरीक्षण हेतु उपस्थित रही। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित बच्चों से और प्रबंधन से उनके कुशलक्षेम के बारे में पूछा गया और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश दिये गये। इस शिशु गृह की स्वच्छता आर खाने की गुणवत्ता के संबंध में जांच की गई। निरीक्षण के दौरान शिशु गृह की सीढियो के टूटे टाईल्स को यथाशीघ्र सुधरवाने हेतु निर्देश दिये गये है।

Visits cum Legal Literacy Camp at Child Care & Educational Institutions

अखिल भारतीय जागरूकता एवं प्रसार कार्यक्रम की तैयारी हेतु बैठक का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त बैठक में जिले के समस्त विभागों के विभाग प्रमुख सम्मिलित रहे। बैठक में दिनांक 02 अक्टूबर 2021 से 14 नबम्बर 2021 तक आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव में घर–घर तक विधिक जागरूकता की अलख जगाने हेतु सभी विभागों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण उपरांत शामिल करने एवं वृहद मेला आयोजन हेतु स्थानों का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Trainings & Webinars

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल मे दिनांक 23.09.2021 को 2 दिवसीय महिला अपराध अनुंसधान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर महिला अपराध की विवेचना मे संवेदनशीलता रखने के निर्देश दिये गये। उक्त आयोजन मे पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे । प्रशिक्षुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल के सचिव की उपस्थिति में दिनांक 15.09.2021 को सरोजिनी नायडु कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल में ऑनलाईन ओरियेन्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लीगल ऐड क्लीनीक के लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर चर्चा की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के संबंध में वी0वी0गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित –online Capacity Building Programme on “ Adderssing Source State Vulnerabilty of Workers to Disatress Trafficking, Child Labour and Bonded Labour “ to be organized during September 01-03 Sep 2021 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर की ओर से चयनित पैरालीगल वालेन्टियर्स द्वारा तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहभागिता की गयी ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 13–09–2021 को भारतीय स्टेट बैंक के समन्वय से न्यायिक कर्मचारीगण के लिए मध्यस्थता केन्द्र देवास में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

उक्त शिविर में न्यायिक कर्मचारीगण को बैंक अधिकारियों ने ऑनलाईन ठगी से बचने, बैंक खातों की ऑनलाईन संचालन प्रक्रिया एवं एटीएम फ्रॉड से बचने, डेबिट कार्ड के ऑनलाईन उपयोग में सावधानी आदि के बारे में जागरूक किया गया।

Glimpses of Training Programme

DLSA MANDLESHWAR

DLSA NARSIHPUR

DLSA SHAHDOL

DLSA SHIVPURI

Reaching out to Jail Inmates

Glimpses of Awareness Camps & Inspection in Jails

जिला जेल इन्दौर
आपका हार्दिक स्वागत

OPPO F9 Pro
2021/09/21 11:51

जेल की पाती

(1)
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
कैंसे निकाल पाउंगा मैं।
कैसे घर जा पाउंगा मैं।
मॉ, बाबूजी, भाई–बहन कैसे रहते होंगे घर में
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
(2)
कैसे भी करके एक बार निकल पाउं मैं।
जीवन में कुछ तो अच्छा कर पाउं मैं।
बंदी को जीवन संवारने का मौका मिलना चाहिए।
बंदी की प्रार्थना न्यायाधीश को सुनना चाहिए।
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
(3)
न खान–पान अच्छा लगता है।

न राग–रंग मन को भाता है।
दुखः ही दुखः मन हो जाता है।
बंदी हर पल सोच रहा हैं।
चिंता में समय बीत रहा है।
(4)
बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताये।
काम बिगारे आपनो, जग में होत हसाये।
जग में होत हसाये, चित में चैन न पाये।

विचाराधीन बंदी मोनू भार्गव
जिला जेल रायसेन

Panch-J

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर

दिनांक 09.09.2021 को ब्रम्हकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जिला न्यायालय परिसर व अन्य चयनित स्थानों से फलदार वृक्ष जैसे अमरूद तेल इत्यादि वृक्षारोपण ब्रम्हकुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खंडवा

औंकारेश्वर स्थित नागर घाट व अभय घाट पर नर्मदा स्वच्छता अभियान।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खण्डवा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी के समन्वय से नगर परिषद मांधाता के स्वच्छता टीम, नागर घाट के स्वंयसेवी संगठन के द्वारा दिनांक 07.09.2021 एवं दिनांक 21.09.2021 को मांधाता (औंकारेश्वर) जिला खण्डवा (म0प्र0) में स्थित नर्मदा नदी के नागर घाट व अभय घाट पर नर्मदा स्वच्छता के नियमित अभियान के अन्तर्गत साफ–सफाई कराई गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर

मंडलेश्वर स्थित घाट पर नर्मदा स्वच्छता अभियान।

दिनांक 14 सितम्बर 2021 को नर्मदा नदी मण्डलेश्वर के घाट की स्वच्छता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर के जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा विशेष स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान का आयोजन नगर परिषद् मण्डलेश्वर के सहयोग से किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

पंच ज शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल द्वारा ग्राम कंचनपुर में पंच 'ज' के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, पशु विभाग, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि, पैरालीगल वालेंटियर एवं अन्य वरिष्ठ नागरिक, महिलाये उपस्थित रहें।

उक्त कार्यक्रम में कृषि विभाग से संचालित योजनाओं,जैविक खेती की उपयोगिता, बलराम योजना, गोबर गैस, पोषण वाटिका, पशुओं से संबंधित रोजगार, मुर्गी–पालन आदि की जानकारी देते हुये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लॉन्च लीगल सर्विसेस ऐप के बारे में लोगो को जागरूक कर डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

दुर्लभ प्रजाति की चील का करवाया रेस्क्यू

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के समीप एक चील घायल अवस्था में दिखाई दी जो लगातार ऊपर उड़ने का प्रयास कर रही थी परंतु कांच की खिड़की के बीच फंसे होने के कारण उड़ते ही गिर पड़ती थी जिससे वह बहुत चोटग्रस्त हो चुकी थी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचना मिलने पर उन्होंने तत्काल वन विभाग से समन्वय स्थापित कर घायल चील का रेस्क्यू करवाकर उचित उपचार हेतु वन विभाग को सुपुर्द किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

पैरालीगल वालेंटियर द्वारा घायल बंदर का उपचार कराया गया।

सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर के पास एक बंदर को करंट लग गया जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और यह सूचना वहां के रहवासी द्वारा मिलते ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के पैरालीगल वालेंटियर और उनकी टीम के सदस्य तुरंत मौके पर पहुॅचकर घायल बंदर का उपचार कराया और बंदर को वन विभाग के सुपुर्द किया गया।

Camps for Labours....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

माईसेम सीमेंट फैक्ट्री इमलाई में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा माईसेम सीमेंट फैक्ट्री ग्राम इमलाई में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रम विभाग के सहयोग से किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्रम निरीक्षक, जनसाहस संस्था के प्रतिनिधि अधिवक्ता एवं श्रमिकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रम कानूनों, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना 2015, नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवाऐं योजना) 2015, श्रमिकों के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ आदि की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा ग्राम पंचायत सिमरी में नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहें। कार्यक्रम में नालसा की नशा उन्मूलन योजना, नशे के दुष्प्रभावों, विधिक सेवा योजनाओं आदि की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु श्रमिक चौक, चंदन नगर, इन्दौर में श्रमिकों को निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, श्रमिक विधिक सहायता प्रकोष्ठ एवं लोकोपयोगी लोक अदालत के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 22.09.2021 को स्कीम नं 140, बस्ती, इंदौर में नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवायें) एवं नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विधिक सेवायें) योजना, 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें श्रोताओं को विशेष रूप से नालसा लीगल सर्विस ऐप को डाऊनलोड करवाया गया एवं विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।

Camp and Meeting under NALSA Poverty alleviation Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऍ) योजना, 2015 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 17.09.2021 को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गयी ।

उक्त बैठक मे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा रिट प्रीटिशन कमांक 1930/2020 मे पारित आदेश तथा नालसा की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी एवं नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऍ) योजना, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रावधानो से अवगत कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा जनसाहस के समन्वय से न्यू दमोह बाईपास रोड के समीप नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऍ) योजना, 2015 के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, जनसाहस से पदाधिकारीगण एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में जनसाहस संस्था के सहयोग से प्रवासी मजदूरों एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को खाद्यान वितरण किया गया तथा उपस्थित आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, गरीबी उन्मूलन योजना, लोक अदालत के लाभ, मीडिएशन योजना, परिवाद विवाद समाधान केन्द्र एवं म0प्र0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ के संबंध में जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा टीकाकरण शिविरों का आयोजन

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जानकारी दी तथा आमजन में वैक्सीन के प्रति भ्रांतियों को दूर कर लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया।

DLSA HOSHANGABAD

DLSA BETUL

DLSA SEHORE

DLSA CHHINDWARA

DLSA RAISEN

DLSA SHEOPUR

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से दिनांक 17.09.2021 को ग्राम उमरिया में टीकाकरण अभियान चलाया गया। जनजातीय क्षेत्र होने के कारण टीकाकरण के प्रति लोगों में भ्रम था। जिसे दूर कर उन्हें टोका लगाने हेतु प्रेरित किया गया। वृद्धजनों को टीका केन्द्र तक ले जाकर टीका लगवाया गया। ग्राम उमरिया से 04 अत्यंत निशक्त वृद्धजन को गाड़ी में बैठकर ग्राम बीड टीका केन्द्र ले जाकर टीका लगवाया गया। ग्राम के कुल 29 लोगों को टीका लगवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

Medical Camp....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा दिनांक 13.09.2021 को जिला अधिवक्ता संघ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल के संयुक्त तत्वाधान में जिला न्यायालय परिसर बैतूल में चिकित्सकोय टीम द्वारा नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 विषय पर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण/सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल, न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं व न्यायालयीन कर्मचारियों सहित कुल 60 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें से 10 मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी सम्मिलित है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा दिनांक 26.09.2021 को जिला पंचायत बगदरा के ग्राम पंचायत भवन में ''हम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य सह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मध्यस्थता द्वारा विवादों के निराकरण के महत्व, महिलाओं के अधिकारों, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। हम फाउंडेशन के सदस्यगण द्वारा उपस्थित जनसमुदाय के स्वास्थ्य की जांच की जाकर उन्हें आवश्यक सलाह व दवाईयां वितरित की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विशिष्ट गतिविधियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

कोविड–19 से अपनों को खोने वाले 30 परिवारों को प्रदाय की गई राशन सामग्री

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2021 को युवा विकास मण्डल भोपाल के समन्वय से ए.डी.आर. सेंटर में कोविड–19 से पीड़ित परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने एवं नालसा, सालसा व शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में कोविड–19 से पीड़ित उपस्थित परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई।

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड–19 महामारी के कारण जिन परिवारों में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की क्षति हुई है उन परिवारों के लिए रोजगार के अवसर तलाशने, उनके बच्चों की शिक्षा आदि के लिये प्रशासनिक स्तर पर विधि अनुसार यथा संभव मदद दिलाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया।

उक्त शिविर के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम व बालकों के महिलाओं से संबंधित प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदाय की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आकाशवाणी केंद्र भोपाल के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में लगाए गए इंनफोरमेंशन डिस्प्लेय बोर्ड के संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जानकारी दी गई साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में भी जानकारी आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा ग्राम दामजीपुरा तहसील भैंसदेही जिला बैतूल में दिनांक 12.09.2021 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त रक्तदान शिविर में ग्रामवासियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल के पैरालीगल वॉलेंटियर तथा अन्य व्यक्तियों व महिलाओं द्वारा आगे आकर रक्तदान किया गया। उक्त रक्तदान शिविर में 27 पुरूष एवं 03 महिलाओं कुल 30 व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। उक्त रक्तदान में कुल 30 यूनिट रक्त जमा किया गया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण–पत्र भी वितरित किये गये।

नालसा लीगल सर्विस एप का प्रचार-प्रसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल द्वारा नालसा लीगल सर्विस एप के संबंध में पैरालीगल वॉलेंटियर्स के माध्यम से आम जन को जागरूक किया गया साथ ही इस एप को इंस्टाल करवाया जाकर एप के माध्यम से किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है इस संबंध में जानकारी भी दी गई।

नालसा लीगल सर्विस एप के संबंध जानकारी प्रदान करते हुए पैरालीगल वॉलेंटियर्स

Compensation to Victims....

District Legal Services Authority, Jabalpur

Compensation of More than 14 lakh awarded under Victim Compensation Scheme

Jabalpur Dlsa has taken prominent steps for providing compensation to the victims under MP Victim Compensation Scheme, 2015 . The Committee comprising District Collector, SP and others presided by the Principal District and Sessions Judge has awarded total amount of Rs 14,32,500 as compensation to victims in 08 cases.

Camps for Women

District Legal Services Authority, Jabalpur

Legal Literacy Camp Held at One Stop Center

A legal literacy camp was organized at One Stop Center Jabalpur by District Legal Services Authority, Jabalpur.

In said programme various informations regarding women's rights, different provisions of free legal Services and entitlement under the victim compensation scheme, etc. given to the public. Specifically information regarding NALSA legal Services mobile app, which has been launched by National Legal Services Authority, New Delhi, was also given on this occasion. Secretary , District Legal Aid Officer, Administrator of One Stop Center along with the officials and other women were present.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा दिनांक 13.09.2021 को वन स्टॉप सेंटर बैतूल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर के दौरान वहाँ उपस्थित पक्षकारों को समझाईश दी गई कि वह आपसी विवाद को खत्म कर खुशी से अपने घर जाये और न्यायालयीन प्रक्रिया से बचे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा दिनांक 24.09.2021 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत कलेक्टट सभागार, बालाघाट में व्यंजन प्रतियोगिता समारोह के साथ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,इंदौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 22/09/2021 को वन स्टॉप सेन्टर, इन्दौर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सेन्टर में 03 महिलाएँ एवं उनके 03 बच्चे उनके साथ निवासरत मिले।

उक्त निरीक्षण उपरांत सचिव, जिला प्राधिकरण द्वारा घर से भाग कर आई आश्रयरत एक महिला व उसके पति तथा एक अन्य महिला की काउंसलिंग भी की गई तथा उन्हें न्यायालय में मामला चलाने हेतु आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी गई एवं वन स्टॉप सेन्टर प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए।

DLSA DEWAS

DLSA SHAHDOL

DLSA SHIVPURI

ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितार्थ शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल द्वारा दिनांक 14.09.2021 को ट्रांसजेन्डरों के लिये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल, जिला विधिक सहायता अधिकारी तथा पी.एल.व्ही की उपस्थिति में बैतूल शहर के सभी ट्रांसजेन्डरो के वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं ट्रांसजेन्डर कार्ड बनाये जाने के संबंध में ए.डी.आर. भवन जिला बैतूल के सभाकक्ष में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ट्रांसजेन्डरो से उनके वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं ट्रांसजेन्डर कार्ड बने है अथवा नही पुछे जाने पर अधिकांश ट्रांसजेन्डरो द्वारा कोई भी दस्तावेज नही होना बताया गया। इस संबंध में तहसीलदार बैतूल से तत्काल दूरभाष पर चर्चा की गई एवं सभी ट्रांसजेन्डरों के उक्त दस्तावेजों को बनाये जाने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक पत्राचार किया गया। उक्त कार्य के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल पैरालीगल वॉलेटियर को नियुक्त किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13–09–2021 को नगर निगम एवं सामाजिक न्याय विभाग देवास के समन्वय से एडीआर सेंटर देवास नगर निगम सीमा में निवासरत ट्रांसजेंडर के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियो को उनके अधिकारों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार 07 ट्रांसजेंडर व्यक्तियो के पहचान पत्र, राशन प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची आदि जिला कलेक्टर के समन्वय से बनवाए जाकर वितरित भी किए गए एवं ट्रांसजेंडर एक्ट भी वितरित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उनके अधिकारो एवं नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उक्त कार्यक्रम उपरांत उपस्थित ट्रांसजेंडर व्यक्तियो को पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधा वितरण किया जाकर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

1. ट्रांसजेंडर के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पहचान संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण हेतु समस्त पैरालीगल वालेंटियरर्स के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया

2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा जिले जबलपुर में निवासरत ट्रांसजेंडर के घर–घर जाकर पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाये जाने के लिए सर्वे कार्य किया जा रहा है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 10027/21, नूरी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.08.21 में दिए गए दिशा निर्देशों तथा इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देश के पालन हेतु जिला रायसेन में ट्रांसजेंडर्स का सर्वे करने और उनके परिचय पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि बनवाने में मदद करने के उद्देश्य से ट्रांसजेंडर गुरु करीना के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 28.08.2021 को एडीआर भवन रायसेन में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में इस काम के लिए नामित पैरा लीगल वॉलेंटियर भी उपस्थित रहे। बैठक में जिला रायसेन के समस्त किन्नरों का सर्वे कराकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में उनके समस्त प्रकार के कार्ड तैयार करने की योजना पर विचार किया गया। बैठक में जिज्ञासा एनजीओ संस्थान के संचालक उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा एडीआर भवन रीवा में ट्रांसजेंडरो हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा ने अपने वक्तव्य में ट्रांसजेंडरों के अधिकार विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को वो सभी न्यायिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जो देश के आम नागरिकों को प्राप्त है। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ट्रांसजेंडर के अधिकार संरक्षण कानून 2019 के विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि उनके साथ समाज में किसी भी तरह का लिंगभेद अपराध की श्रेणी में आता है और विधिविरूद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके भी मानवाधिकार सामान्य नर एवं नारियों के समान ही है। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत कार्य कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किए गए है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने निःशुल्क विधिक सहायता व नालसा व सालसा की योजना को जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर शिविर में रीवा के ट्रांसजेड़र समुदाय के लोग उपस्थित थे।

ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव किया जाना गैर कानूनी है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी WP 10027 –2021 के निर्देशों का पालन करते हुए भोपाल जिले में निवास करने वाले समस्त ट्रांसजेंडर का परिचय पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड बनाए जाने हेतु भोपाल की पी. एल. वी ट्रांसजेंडर संजना सिंह एवं जूली मंगलवारा के साथ बैठक आयोजित की उक्त बैठक में संजना सिंह पीएल वी को यह निर्देशित किया गया कि भोपाल जिले के समस्त ट्रांसजेंडर के नाम आयु पता एवं मोबाइल नंबर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे उनके ट्रांसजेंडर कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड बनाए जा सके ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर द्वारा ए.डी.आर. सेंटर भवन में नगरपालिका सीमाक्षेत्र में निवासरत ट्रांसजेण्डर के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर में ट्रांसजेण्डर को उनके अधिकारों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी एवं उनके ट्रांसजेण्डर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाये जाने के संबंध में जागरूक किया एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रांसजेण्डर के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की छायाप्रति भी प्रदान की गई एवं नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उक्त शिविर में पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें पौधे भी वितरित किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा द्वारा दिनांक 15 सितंबर 2021 ट्रांसजेंडरों के हित के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ट्रांसजेंडरों के वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड और रा" ान कार्ड के अलावा उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। उक्त शिविर में 20 ट्रांसजेंडर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया कि जो भी ट्रांसजेंडर भाासन की सुविधा से वंचित है या उनके पास के कार्ड नही हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार उपलब्ध कराया जावेगा।

नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 21.09.2021 को मिशनरी ऑफ चैरिटी निर्मला भवन, काटजू नगर रतलाम में नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर सह निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिसमें मानसिक रूप से पीड़ित असहाय व्यक्तियों के स्वास्थ्य, भोजन, रहन–सहन, साफ–सफाई के संबंध में जानकारी ली गई एवं रहने एवं खाने–पीने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर योग्य निर्देश प्रदान किए गए।

शिविर के दौरान मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तिया के चिकित्सीय अधिकार के बारे में बताया गया एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के प्रावधानों के बारे में तथा विधिक सेवा से संबंधित मोबाईल एप्लीकेशन के बारे में संस्था के कर्मचारीगण को अवगत कराया गया। इस असवर पर सभी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को फल भी वितरित किये गये। उक्त शिविर से लगभग 40 व्यक्ति लाभांवित हुए।

DLSA DATIA

Glimpses of Awareness Camps

नेत्रदान को अपने परिवार की परम्परा बनाईयें
मरणोपरांत नेत्रदान करवायें

Camps for Senior citizens under NALSA Scheme

आशाधाम

विधिक साक्षरता कार्यक्रम
हिन्दी दिवस
(15.09.2021)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 15.09.2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालाघाट में विधिक जागरूकता शिविर के साथ हिंदी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के समन्वय से हिंदी लेखन एवं रामचरितमानस के सस्वर पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिन्दी के महत्व, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के संबंध में बताया गया, इसके अतिरिक्त नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। विद्यालय में विधिक जागरूकता के साथ–साथ आयोजित शुद्ध लेखन एवं गायन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पुरूस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह द्वारा दिनांक 14.09.2021 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर विधिक जागरूकता शिविर एवं पंच–ज अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह में कराया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी, सदस्य बाल कल्याण समिति, शिक्षकगण एवं समस्त छात्र/छात्रायें उपस्थित रहे। छात्रों को हिंदी के इतिहास एवं महत्व, पॉक्सो एक्ट, गुड टच/बेड टच आदि के बारे में जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा दिनांक 14–09–2021 को उत्कृष्ट विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर एवं उत्कृष्ट विद्यालय में गठित विधिक साक्षरता क्लब के माध्यम से हिन्दी दिवस के अवसर पर तात्कालिक भाषण, श्रुत लेख काव्यपाठ, मुहावरा अभिव्यक्ति, पद/दोहा गायन एवं स्वरचित कविता एवं कहानी प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समस्त छात्र छात्राओं को पेन वितरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर मंगलयत्न विश्वविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खण्डवा द्वारा दिनांक 14.09.2021 को अध्यक्ष, सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में हिन्दी दिवस के अवसर पर हिन्दी की उपयोगिता, हिन्दी साहित्य संवाद एवं गोष्टी कार्यक्रम व नालसा एप व विधिक सेवा योजना आदि के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर द्वारा दिनांक 14.09.2021 को जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में हिन्दी दिवस के अवसर पर महात्मागांधी शासकीय स्कूल मण्डलेश्वर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी भाषा के गौरवशाली इतिहास तथा महत्व को बताते हुये अन्य विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षकगण, पैरालीगल वालेंटीयर्स एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहें।

विधिक साक्षरता कार्यक्रम शिक्षक दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (05.09.2021—08.09.2021)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में कोविड–19 गाईड लाइन का पालन करते हुए दिनांक 05–09–2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्राथमिक विद्यालय नराना में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,खंडवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा दिनांक 05.09.2021 को सचिव एव जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में शिक्षक दिवस के अवसर पर बालकों के अधिकार, शिक्षा का महत्व ,भारत का अमृत महोत्सव, नालसा की योजना आदि के संबंध में अम्बेडकर कोंचिंग सेंटर, गणेश तलाई, जिला खण्डवा म0प्र0 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी द्वारा दिनांक **08.09.2021** को शासकीय मॉडल स्कूल झिंझरी कटनी में **अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस** के अवसर पर सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, शिक्षकगण एवं विद्यार्थीगण की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

उक्त अवसर पर बच्चों को उनके मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में जानकारी दी गई।

सफलता की कहानी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार

"डंपिंग ग्राउण्ड मनावर के सुधार हेतु की गई अनूठी पहल "

विगत कई दिनों से जिला धार की तहसील मनावर स्थित डंपिग ग्राउण्ड की अव्यवस्था से संबंधित जिला प्राधिकरण धार को मौखिक शिकायतें/आवेदन प्राप्त हो रहे है। इसको गम्भीरता से लेते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा मनावर क्षेत्र के स्थानीय पीएलवी को डंपिग ग्राउण्ड का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देशित किया गया। जिसके पालन में दिनांक 26.07.21 को पीएलवी द्वारा डंपिग ग्राउण्ड के मौका स्थल पर जाकर मुआवना किया गया।

प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ्स का अवलोकन करने पर मानवीयता को शर्मशार कर देने वाल, आत्मविभोर कर देने वाले दृश्य सामने आये हैं जहां दो वक्त की रोजी–रोटी जुटाने के लिए पालकगण स्वयं व अपने छोटे–छोटे बच्चों का जीवन एवं स्वास्थ्य को दाव पर लगाकर मेहनत–मुशक्कत करते दिखे।

सचिव उक्त प्रतिवेदन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुये संबंधित विभागो को उक्त संबंध में अविलंब आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

परिणामतः दिनांक 11.08.2021 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर द्वारा उक्त डंपिंग ग्राउण्ड स्थल के रहवासियों एवं बच्चों की समस्याओं को विवेचना में लेते हुए उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निम्न प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मलित करते हुए दल का गठन किया गया:–

1. नायब तहसीलदार, वृत्त सिंघाना तहसील मनावर।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद मनावर।
3. मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर।
4. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मनावर

जिला प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि उक्त डंपिंग ग्राउण्ड पर अपने जीविकोपार्जन हेतु निर्भर परिवार के सदस्यों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो साथ ही बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो इसके साथ ही डंपिग ग्राउण्ड में विचरण करने वाले मवेशियों को भी प्लास्टिक, पन्नी, मेडिकल वेस्ट आदि के खाने से बचाये जा सके एवं उन्हें किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसके लिए स्थानीय पीएलवी श्री रवि उजले एवं श्रीमती शशि पवार को नियमित अन्तराल से डंपिंग ग्राउण्ड व आस–पास की बस्तियों का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के अध्यक्ष अपने गृह नगर जबलपुर में भ्रमण के दौरान एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि नग्न अवस्था में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के पास था जिसके संबंध में उनके द्वारा विक्षिप्त व्यक्ति के उपचार एवं पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को सूचित किया गया तदुपरांत सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल रेस्क्यू करवाया जाकर उक्त व्यक्ति को मोक्ष संस्था, मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा अल्पावधि महिला आश्रम मण्डला में दिनांक 20.09.2021 को आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सरस्वति धुर्वे नाम की महिला मिली जो कि मानसिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ्य नहीं थी एवं लगभग 06 माह से अल्पावधि महिला आश्रम में रह रही थी तथा अपने परिवार के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा काफी देर तक बातचीत की गई तब उसने अपने सिर्फ गॉव का नाम बताया जिसके प" चात् संबंधित तहसोल के न्यायिक मजिस्टट से संपर्क कर उस गॉव के सरपंच को बुलाया गया जिसके प" चात् उस महिला के परिवार का पता लगाया जाकर दिनांक 22.09.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास से उस महिला को उसके पिता एवं ग्राम सरपंच को सुपुर्द किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा लीगल एड क्लीनिक जिला चिकित्सालय में पीएलवी द्वारा यह अवगत कराया गया कि राकेश सिंह गोड़ नामक व्यक्ति जो मजदूरी कर अपना जीवनयापन करता था। जिसकी सड़क दुर्घटना में पैर टूट गया था। उसका उपचार विगत 1 वर्ष से चल रहा था लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ, तथा उसकी पत्नी भी उसे छोड़ कर चली गई एवं उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उसकी परिस्थितियों को देखते हुए पीएलव्ही द्वारा उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल में लेकर उपस्थित हुई। और उसकी समस्या से अवगत कराया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के निर्देशानुसार उसके उचित उपचार हेतु जबलपुर रेफर करवाया जाकर उसका सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन करवाया गया तथा उसे आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 5000 की राशि भी दिलवाने में सहयोग किया गया जिससे अब वह व्यक्ति स्वस्थ होकर किराने की दुकान खोलकर अपना जीवनयापन खुशी–खुशी कर रहा है।

Resolution Of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
44	08	52

नेशनल लोक अदालत में कुटुम्ब न्यायालय की समझाईश पर बुजुर्ग दंपति साथ रहने को हुए तैयार

नेशनल लोक अदालत में 2399 प्रकरणों में से 168 का हुआ निराकरण

...dge hears testimony over phone in Family Court

लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर न किसी पक्षकार की जीत होती है और न किसी की हार

हरिभूमि

नेशनल लोक अदालत में 26 वर्षों से बिछड़े बुजुर्ग दंपति फिर हुए एक, खुशी-खुशी अपने घर लौटे

'ऋषि' बने जज, तलाक लेने आए जोड़ों का बसाया घर

निपटे 529 मामले, पौने दो करोड़ रुपये से अधिक अवार्ड पारित

सालों के बाद बिछड़े परिवार मिले परेशान माता पिता को मिली राहत

आखिर शंका की दीवार टूटी, छह माह बाद खुशी-खुशी दंपती लौटे घर

दमोह भास्कर

नेशनल लोक अदालत: 24 सौ से अधिक लोगों को मिला लाभ, 4.75 करोड़ के अवार्ड हुए पारित

सालों के बाद बिछड़े परिवार मिले परेशान माता पिता को मिली राहत

आखिर शंका की दीवार टूटी, छह माह बाद खुशी-खुशी दंपती लौटे घर

गुना भास्कर 12-09-2021

34 साल में सुप्रीम कोर्ट में भी न सुलझे मामले में सुलह

राजीनामा से सैकड़ों प्रकरणों का हुआ निराकरण

तीन करोड़ 38 लाख 47 हजार 690 समझौता राशि के अवार्ड पारित हुए

जिले में 3580, उच्च न्यायालय में 412 प्रकरण निराकृत

12-09-2021

9 साल से बिछड़े परिवार को लोक अदालत ने मिलवाया

361 प्रकरणों का निराकरण, समझौते पर दिया न्याय

12-09-2021

घर का माहौल ठीक नहीं होने के कारण पत्नी 4 साल से रह रही थी अलग

गुना भास्कर 12-09-2021

34 साल में सुप्रीम कोर्ट में भी न सुलझे मामले में सुलह

टीकमगढ़ भास्कर 12-09-2021

2 करोड़ 84 लाख के अवार्ड पारित, 780 लंबित प्रकरणों का किया समाधान

लोक अदालत में निपटाए गए 1607 प्रकरण

आपसी सुलह में 9 करोड़ 76 लाख 45 हजार रुपए के अवार्ड पारित

अशोकनगर 12-09-2021

22 खंडपीठ में 798 मामलों का हुआ निराकरण, 1267 लोग हुए लाभान्वित

नीमच 12-09-2021

धोखाधड़ी की शिकार 21 महिलाओं को 5 साल बाद अपने 35-35 हजार रुपए मिले

खंडवा भास्कर 09-09-2021

न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रचार रथ

बच्चों का भविष्य और कोरोना की विभीषिका देख फिर आए साथ

लोक अदालत में 27 खंडपीठ गठित की, पांच हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य

तीन करोड़ 38 लाख 47 हजार 690 समझौता राशि के अवार्ड पारित हुए

जिला न्यायालय में 73 करोड़ तो वहीं उच्च न्यायालय में 2.55 करोड़ के अवार्ड पारित

सागर 12-09-2021

पैतृक संपत्ति पर हक के लिए बहन ने भाई के खिलाफ लगाया था केस, 21 साल बाद सुलह

स्कूलों में बच्चों को दिखाई जाएगी लघु फिल्म उड़ने दो

विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

स्लम बस्ती में चलाया जागरुकता कार्यक्रम

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार

जिला जेल में बंदियों को दी नालसा के लीगल सर्विस एप की जानकारी

अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रहकर कार्य करें: न्यायाधीश

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में साइकिल रैली के माध्यम से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

विद्यालय में छात्रों को दी गई पॉक्सो एक्ट की जानकारी

कोविड-19 के प्रभाव से दो साल तक घर में कैद बच्चों को अच्छा लगता है स्कूल खुलने के बाद का ऐसा माहौल

अच्छी खबर : विधिक सेवा प्रचार-प्रसार में सहयोगी बनेंगे डाक विभाग के पोस्टमेन

निशुल्क विधिक सहायता दिलवाने में मदद करेंगे डाकघर

नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रचार-प्रसार में पोस्ट ऑफिस निभायेगा अहम भूमिका

डाक जानकारी डिस्प्ले बोर्ड का अनावरण एवं प्रदर्शन

अब डाक विभाग के सहयोग से पात्र व्यक्ति को मिलेगी विधिक सहा...

प्रधान डाकघर पर लगाई विधिक जानकारी देने डिस्प्ले

पोस्ट आफिस के माध्यम से विधिक सेवा प्रदान किये जाने हेतु पोस्टर एवं बैनर का

विधिक सहायता उपलब्ध कराने में डाक विभाग करेगा सहयोग

शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021

आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन

24-09-2021

पोस्ट ऑफिस पर योजनाओं से संबंधित फ्लेक्स लगे

अधिकांश लोगों में बढ़ी मिली शुगर की मात्रा

डाकघर से भी मिलेगी विधिक सहायता

डाक विभाग अब विधिक सेवा भी करेगा

अच्छी खबर : विधिक सेवा प्रचार-प्रसार में सहयोगी बनेंगे डाक विभाग के पोस्टमेन

मोबाइल एप के माध्यम से विधिक सहायता का आवेदन उपलब्ध करायेंगे पोस्टमैन

पोस्ट आफिस के माध्यम से भी मिलेगी नि:शुल्क वि...

शहडोल के मुख्य डाकघर में विधिक योजनाओं के फ्लेक्स बैनर का हुआ लोकार्पण

अब डाकिया पहुंचायेंगे विधिक योजनाएं

राजगढ़ 24-09-2021

विधिक सहायता के लिए अब पोस्ट ऑफिस से कर सकेंगे आवेदन

प्रदेश में पहली बार... नूतन कॉलेज में खुली लीगल एड क्लीनिक, यहां पर ढाई महीने के भीतर ही 25 से ज्यादा लड़कियां ले चुकी हैं कानूनी मदद

पहले पति पढ़ाई करने से रोकता था, अब वह खुद भी कर रहा है पढ़ाई

लोकल ग्रांट की स्टूडेंट को इंटर्नशिप में वहीं हो रही

यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो दूसरे कॉलेजों में भी खोलेंगे

राजगढ़ 12-09-2021

वृद्ध दंपती को मिलाया, पानिया गांव का अतिक्रमण हटा, ग्रामीणों और प्रशासन के बीच कराई सुलह

साक्षरता शिविर आयोजित कर किया जेल निरीक्षण

हरदा। जिला जेल में कोविड-19 की गाईडलाईन का पालन सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए विधिक साक्षरता शिविर एवं जेल निरीक्षण किया गया। मा योगेश दत्त शुक्ल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में तथा मा प्रदीप राठौर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अभय सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में श्री शुक्ल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी विचाराधीन बंदियों से उन्हें प्राप्त विधिक सहायता के संबंध में जानकारी लेकर जेल का निरीक्षण किया। बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में तथा जेल बंदियों को प्लीबारगेनिंग के बारे में विस्तार से बताया। उक्त शिविर में जेल अधीक्षक एसएम रावत व जेल प्रहरी मोहम्मद हारून कुरैशी, कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहें।

शिविर | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल की पहल

बंदियों को दी विधिक जानकारी

Legal literacy camp held at Central Jail

■ Staff Reporter

DLSA Secretary Manish Singh Thakur interacting with an inmate during legal literacy camp.

TO ENSURE benefits of inmates, a legal literacy camp was organised at Netaji Subhash Chandra Bose Central Jail strictly following COVID-19 protocols on Thursday.

The camp was organised following the directives issued by the President, District Legal Service Authority in presence of Secretary, District Legal Service Authority (DLSA), Manish Singh Thakur and District Legal Aid Officer, Mohammed Illam.

Secretary, DLSA, Manish Singh Thakur shared the objective behind Legal Literacy Camp and rights of inmates being imprisoned in the jail. He also discussed about redressal of problems face by the inmates in attending appearance through video-conferencing. District Legal Aid Officer, Illam informed about free legal aid and retrieval and appeal in the issues concerned with plea bargaining process.

Law Officer Ashok Singh gave various details about legal aids and counseling provided to the inmates imprisoned to the jail during last one month and other services provided by the panel advocates appointed through LSA. Deputy Superintendent, Central Jail, RP Mishra informed about appearance of inmates in front of the Court through video conferencing.

Secretary, DLSA, Thakur later listened to the grievances of the inmates. The camp was anchored by Assistant Superintendent, Central Jail, Rakesh Mohan Upadhayay. Others who were present on the occasion include Jail Medical Officer Dr Laxman Shah, Senior Probation and Welfare Officer and other officers and employees of Jabalpur Central Jail and para-legal volunteers.

दैनिक भास्कर खरगोन 03-09-2021

शिविर : बंदियों का किया स्वास्थ्य परीक्षण

मंडलेश्वर | मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में सब जेल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। जिला न्यायाधीश व सचिव विकासचंद्र मिश्र ने शिविर में बंदियों से अपील संबंधी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। स्वास्थ्य परीक्षण डॉ. कमल जाधव व उनकी टीम ने किया।

महिला बंदियों को किया उपयोगी सामग्री का वितरण

केन्द्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर में दिया मार्गदर्शन

नशे से दूर रहने व साइबर क्राइम के बारे में दी जानकारी

विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

दैनिक भास्कर श्योपुर भास्कर 22-09-2021

धिक साक्षरता शिविर में आदिवासियों दी उनके अधिकारों की जानकारी

आज कल कई संतान निष्ठुर व कर्तव्यहीन होती जा रही है जिसका परिणाम परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों को भोगना पड़ रहा है : न्यायाधीश

श्री दादाजी वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलना आवश्यक: न्यायाधीश

त महोत्सव के अन्त

महिलाओं ने भी आगे बढ़कर किया रक्तदा

जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से जन सामान्य को मिली त्वरित राहत